

प्ररूप	आकावि -6	भारतीय आयकर विवरणी [धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के लिए] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (संलग्न अनुदेशों को भी देखें)	निर्धारण वर्ष			
			2	0	1	1-12

भाग क-साधारण

साधारण

व्यक्तिगत सूचना	नाम		स्थायी लेखा संख्यांक			
	क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें					
	फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	निगमन की तारीख(दिन/मास/वर्ष)			
	सड़क /मार्ग/डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान	यदि देशी कंपनी है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
	कस्बा/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड	यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी हैं तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित) <input type="checkbox"/>		
कार्यालय की दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित		मोबाइल संख्या	आय-कर वार्ड/सर्किल			
फाइल करने की प्राप्ति	ई मेल पता					
	फाइल विवरणी (निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश सं० 7 देखें] <input type="checkbox"/> देय तारीख से पूर्व - 139(1) <input type="checkbox"/> देय तारीख के पश्चात् - 139(4) <input type="checkbox"/> पुनरीक्षित विवरणी -139(5)					
	या सूचना के उत्तर में <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153क/153ग					
	यदि पुनरीक्षित है , तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) प्रविष्ट करें					
	आवासीय प्राप्ति (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी					
अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं						
क्या निर्धारती के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाइल की जा रही है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं						
यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें						
(क)	प्रतिनिधि का नाम					
(ख)	प्रतिनिधि का पता					
(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक					
संपरिक्षा जानकारी	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					
	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरिक्षा के लिए दायी हैं (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					
	यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें					
	(क)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम				
	(ख)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या				
	(ग)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)				
	(घ)	संपत्तिक/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं०)				
(ङ)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख					
क्या आप धारा 92ड के अधीन कोई रिपोर्ट देने के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं						

कार्यालय प्रयोग के लिए

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

रसीद संख्या

तारीख

प्राप्तकर्ता पदधारी की मुद्रा और हस्ताक्षर

धारक प्रास्थिति	कंपनी का स्वरूप (यदि धारक कंपनी है तो 1 लिखें, यदि समनुषंगी कंपनी है तो 2 लिखें), यदि दोनों हैं तो 3 लिखें, यदि कोई अन्य है तो 4 लिखें <input type="checkbox"/>				
	यदि समनुषंगी कंपनी है तो धारक कंपनी के नाम, पते और स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख करें				
	यदि धारक कंपनी है तो समनुषंगी कंपनी के नाम, पते और स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख करें				
	समामेलक कंपनी की दशा में, सामामेलित कंपनी का नाम लिखें				
कारबार संगठन	समामेलित कंपनी की दशा में, सामामेलक कंपनी का नाम लिखें				
	अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी का नाम लिखें				
	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी का नाम लिखें				
	प्रबंध निदेशकों, निदेशक सचिव और प्रधान अधिकारी, (अधिकारियों) की विशिष्टियां जो पूर्व वर्ष के दौरान पद धारित किए हुए पर थे				
प्रमुख व्यक्ति	क्रम सं०	नाम	पद नाम	आवास का पता	स्थायी लेखा संख्यांक
उन व्यक्तियों की विशिष्टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय 10% से अन्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे					
क्रम सं०	नाम	धारित शेयरों का प्रतिशत		स्थायी लेखा संख्यांक	
कंपनी का स्वरूप					(निशान लगाए) <input checked="" type="checkbox"/>
1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क) में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी है				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी है				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
3	क्या आप ऐसी कंपनी है, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं।				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
4	क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी है				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
5	क्या आप अनुसूचित बैंक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक है				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी है (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित)				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
7	क्या आप गैर सरकारी वित्तीय संस्थान की कंपनी है				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें					
क्र. सं.	कोड [कृपया अनुदेश संख्या 9 (ii) देखें]	वर्णन			
(i)					
(ii)					
(iii)					

निधियों के स्रोत	1	शेयर धारक की निधि				
		क	शेयर पूंजी			
			i	प्राधिकृत	का	
			ii	पुरोधृत, अभिदत्त और संदत्त	काii	
			iii	शेयर उपयोगन धन	काiii	
			iv	कुल(काii + काiii)	काiv	
		ख	आरक्षित और अधिशेष			
			i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	खा	
			ii	पूंजी आरक्षित	खाii	
			iii	पूंजी मोचन आरक्षित	खाiii	
			iv	प्रतिभूति प्रिमियम लेखा	खाiv	
			v	डिबेन्चर मोचन आरक्षित	खv	
			vi	कानूनी आरक्षित	खvi	
			vii	साधारण आरक्षित	खvii	
			viii	लाभ और हानि लेखा	खviii	
			ix	कुल (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi + खvii + खviii)	खix	
		ग	कुल शेयर धारक निधि (काiv + खix)		1 ग	
	निधियों के स्रोत	2	ऋण निधि			
			क	प्रतिभूत ऋण		
			i	डिबेन्चर	का	
			ii	विदेशी करेन्सी ऋण	काii	
			iii	रुपए ऋण		
			क	बैंकों से	iii क	
			ख	अन्य से	iii ख	
			ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग	
			iv	योग (का + काii + iii ग)	काiv	
		ख	अप्रतिभूत ऋण (जिनके अंतर्गत निक्षेप भी हैं)			
			i	दीर्घकालिक		
			क	बैंकों से	i क	
			ख	अन्य से	i ख	
			ग	कुल (i क + i ख)	i ग	
			ii	अल्पकालिक		
			क	बैंकों से	ii क	
			ख	अन्य से	ii ख	
			ग	कुल (ii क + ii ख)	ii ग	
			iii	योग (i ग + ii ग)	खiii	
	ग	योग ऋण निधि (काiv + खiii)		2 ग		
निधियों के उपयोगन	3	आस्थगित कर दायित्व			3	
	4	निधि के स्रोत (1 ग + 2 ग + 3)			4	
	1	स्थिर आस्ति				
		क	सकल ब्लाक	1 क		
	ख	अवक्षयण	1 ख			
	ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1 ग			
	घ	पूंजी कार्य में प्रगति	1 घ			
	ङ	कुल (1 ग + 1 घ)		1 घ		
निधियों के उपयोगन	2	विनिधान				
		क	दीर्घकालिक विनिधान			
		i	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई	का		

	ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई	kii	
	iii	कुल (का + कii)		कiii
ख	अल्पकालिक विनिधान			
	i	साधारण शेयर	खा	
	ii	अधिमानी शेयर	खii	
	iii	डिबेन्चर	खiii	
	iv	कुल (खा + खii + खiii)		biv
ग	कुल विनिधान (कiii + खiv)			2c
3	चालू आस्ति ऋण और अग्रिम			
	a	चालू आस्तियां		
	i	सूचियां		
		क भंडार, खपत योग्य और पैकिंग सामग्री	i क	
		ख कच्चा माल	i ख	
		ग प्रक्रियागत स्टॉक	i ग	
		घ तैयार माल/व्यवसाय किया गया माल	i घ	
		ङ कुल (i क + i ख + i ग + i घ)		i ङ
	ii	विविध देनदार		
		क छह मास से अधिक	ii क	
		ख अन्य	ii ख	
		ग कुल (ii क + ii ख)		ii ग
	iii	नकदी और बैंक अतिशेष		
		क हाथ में नकदी	iii क	
		ख बैंक में अतिशेष	iii ख	
		ग कुल (iii क + iii ख)		iii ग
	iv	अन्य चालू आस्तियां		
	v	कुल चालू आस्तियां (i ङ + ii ग + iii ग + कiv)		
				कv
ख	ऋण और अग्रिम			
	i	समनुषंगी कंपनियों को ऋण	खा	
	ii	नकद में या वस्तु में वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त करने योग्य मूल्य के लिए	खii	
	iii	निक्षेप	खiii	
	iv	राजस्व प्राधिकरणों आदि के पास अतिशेष	खiv	
	v	कुल (खा + खii + खiii + खiv)		खv
ग	कुल (कv + खv)			3 ग
घ	चालू दायित्व और उपबंध			
	i	चालू दायित्व		
		क विविध लेनदार	i क	
		ख पट्टाकृत आस्तियों के लिए दायित्व	i ख	
		ग असदत्त लाभांश	i ग	
		घ असदत्त परिपक्व डिबेन्चर	i घ	
		ङ असदत्त मांग राशि	i ङ	
		च उपरोक्त पर प्रोद्भूत ब्याज	i च	
		छ ऋण पर प्रोद्भूत किंतु शोध नहीं ब्याज	i छ	
		ज कुल (i क + i ख + i ग + i घ + i ङ + i च + i छ)		i ज
	ii	उपबंध		
		क आयकर के लिए उपबंध	ii क	
		ख अनुषंगी लाभ कर के लिए उपबंध	ii ख	
		ग धन कर के लिए उपबंध	ii ग	
		घ छुट्टी भुनाने/अधिवार्षिकी/उपदान के लिए उपबंध	ii घ	
		ङ अन्य उपबंध	ii ङ	

	च	प्रस्तावित लाभांश	ii च	
	छ	लाभांश पर कर	ii ज	
	ज	योग (ii क + ii ख + ii ग + ii घ + ii ङ + ii च + ii छ)	ii ज	
	iii	कुल (i ज + ii ज)	चiii	
	ड	शुद्ध चालू आस्ति (3ग - चiii)	3 ड	
4	क	प्रकीर्ण व्यय, जो अपलिखित या समायोजित नहीं किया गया	4 क	
	ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख	
	ग	लाभ हानि लेखा / संचित अतिशेष	4 ग	
	घ	कुल (4 क + 4 ख + 4 ग)	4घ	
5		कुल, निधियों का उपयोजन (1 ड + 2 ग + 3 ङ + 4 घ)	5	

भाग क-लाभ और हानि

वर्ष 2010-11 के लिए लाभ हानि लेखा

(उस दशा में जहां लेखा की नियमित बहियां का अनुक्षण किया जाता है मद 1 से 50 भरे, अन्यथा मद 51 भरे)

लाभ-हानि लेखे में जमा	1	कारबार या वृत्ति के विक्रय/सकल प्राप्तियां (शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो)	1		
	2	विक्रीत या प्रदत्त माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर			
		क	संघ उत्पाद शुल्क	2क	
		ख	सेवा कर	2ख	
		ग	मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर	2ग	
		घ	कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर	2घ	
		ङ	प्राप्त या प्राप्य शुल्कों, करों और उपकर का योग (2क+2ख+2ग+2घ)	2ङ	
	3	अन्य आय			
		क	किराया	3क	
		ख	कमीशन	3ख	
		ग	लाभांश	3ग	
		घ	ब्याज	3घ	
		ङ	विक्रय या नियत आस्तियों पर लाभ	3ङ	
	च	ऐसे विनिधान के विक्रय पर लाभ, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य प्रतिभूतियां हैं	3च		
	छ	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	3छ		
	ज	करेंसी उतार-चढ़ाव के मद्दे लाभ	3ज		
	झ	कृषि आय	3झ		
	ञ	कोई अन्य आय	3ञ		
	ट	अन्य आय का योग [(क) से (ञ)]	3ट		
	4	बंद स्टाक	4		
	5	लाभ-हानि लेखे में जमा का योग (1+2ङ+3ट+4)	5		
लाभ-हानि लेखे से विकलन	6	आरंभिक स्टाक	6		
	7	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)	7		
	8	क्रय किए गए माल और सेवाओं की बाबत संदत्त या संदेय शुल्क और कर			
		क	सीमा शुल्क	8क	
		ख	प्रति शुल्क	8ख	
		ग	विशेष अतिरिक्त शुल्क	8ग	
		घ	संघ उत्पाद शुल्क	8घ	
		ङ	सेवा कर	8ङ	
		च	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	8च	
		छ	कोई अन्य कर, संदत्त या संदेय	8छ	
		ज	योग (8क+8ख+8ग+8घ+8ङ+8च+8छ)	8ज	
	9	भाड़ा	9		
	10	भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग	10		
11	विद्युत और ईंधन	11			
12	किराया	12			
13	भवन की मरम्मत	13			

14	मशीनरी की मरम्मत		14
15	कर्मचारियों को प्रतिकर		
	क वेतन और मजदूरी	15क	
	ख बोनस	15ख	
	ग चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	15ग	
	घ छुट्टी नकदीकरण	15घ	
	ङ छुट्टी यात्रा फायदा	15ङ	
	च अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	15च	
	छ मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	15छ	
	ज मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	15ज	
	झ किसी अन्य निधि में अभिदाय	15झ	
	ञ कर्मचारियों को कोई ऐसा अन्य फायदा, जिसकी बाबत कोई व्यय उपगत किया गया है	15ञ	
	ट संदत्त और संदेय अनुषंगी फायदा कर	15ट	
	ठ कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (15क+15ख+15ग+15घ+15ङ +15च+15छ+15ज+15झ+15ञ+15ट)		15ठ
16	बीमा		
	क चिकित्सा बीमा	16क	
	ख जीवन बीमा	16ख	
	ग प्रमुख व्यक्ति का बीमा	16ग	
	घ कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि सहित अन्य बीमा	16घ	
	ङ बीमा पर कुल व्यय (16क+16ख+16ग+16घ)		16ङ
17	कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय		17
18	मनोरंजन		18
19	सत्कार		19
20	सम्मेलन		20
21	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)		21
22	विज्ञापन		22
23	कमीशन		23
24	होटल, बोर्डिंग और वासा		24
25	विदेश यात्रा सहित यात्रा व्यय		25
26	वाहन खर्च		26
27	टेलीफोन व्यय		27
28	अतिथि गृह व्यय		28
29	क्लब व्यय		29
30	उत्सव समारोह व्यय		30
31	छात्रवृत्ति		31
32	दान		32
33	संदान		33
34	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय रेट और कर (आय पर करों को छोड़कर)		
	क संघ उत्पाद शुल्क	34क	
	ख सेवा कर	34ख	
	ग मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	34ग	
	घ उपकर	34घ	
	ङ एसटीटी सहित कोई अन्य रेट, कर, शुल्क या उपकर	34ङ	
	च संदत्त या संदेय कुल रेट और कर (34क+34ख+34ग+34घ+34ङ)		34च
35	लेखा परीक्षा शुल्क		35
36	अन्य व्यय		36
37	डूबंत ऋण		37
38	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध		38
39	अन्य उपबंध		39
40	ब्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [5 -(6+7+8छ +9से 14+15ट +16क +17से 33+34च+35 से 39)]		40

	41	ब्याज		41		
	42	अवक्षयण		42		
	43	कर पूर्व लाभ (39-40-41)		43		
कर और विनियोग के लिए उपबंध	44	चालू कर के लिए उपबंध		44		
	45	अनुषंगी लाभ कर के लिए उपबंध		45		
	46	आस्थिगत कर के लिए उपबंध		46		
	47	कर पश्चात् लाभ (43 – 44 – 45- 46)		47		
	48	पूर्व वर्ष से अग्रनीत अतिशेष		48		
	49	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (48+ 48)		49		
	50	विनियोग				
		क	आरक्षित और अधिशेष में अंतरण	50 क		
		ख	प्रस्तावित लाभांश / अंतरिम लाभांश	50 ख		
		ग	लाभांश पर कर/पूर्व वर्षों के लिए लाभांश पर कर	50 ग		
	घ	कोई अन्य विनियोग	50 घ			
	ङ	कुल (50 क+ 50 ख + 50 ग + 50 घ)		50 ङ		
	51	तुलन पत्र पर लिया गया अतिशेष (49 – 50ङ)		51		

भाग क- अन्य जानकारी अन्य जानकारी (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद	
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	3	धारा 145 के अधीन विहित लेखा मानकों से पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति में विचलन के कारण, यदि कोई हो, लाभ पर प्रभाव	3	
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति		
		क	कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
		ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
		ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	<input type="checkbox"/>
		घ	धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	4घ
	5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-		
		क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क
	ख	सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवाकर का प्रोफार्मा जमा, वापसी, प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रतिदाय, जहां ऐसा जमा, वापसी या प्रतिदायों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा देय माना गया है	5ख	
	ग	पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ङ	पूँजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ	
	च	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च	
6	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकम-			
	क	स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम	6ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी		
	घ	उधार ली गई पूँजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम	6घ	
	ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम	6ङ	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6च	
	छ	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम	6छ	
	ज	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6ज	
	झ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6झ	
	ञ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम	6ञ	

	ट	डूबत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	6ट	
	ठ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम	6ठ	
	ड	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय	6ड	
	ढ	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि	6ढ	
	ण	कोई अन्य अननुज्ञेय	6ण	
	त	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ण का योग)		6त
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें			
	क	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय	7क	
	ख	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय	7ख	
	ग	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ग	
	घ	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7घ	
	ङ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7ङ	
	च	आकरमिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7च	
	छ	ऐसी आय के संबंध में व्यय की रकम, जो कुल आय का भाग नहीं बनती	7छ	
	ज	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ज	
	झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)		7झ
8	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i), धारा 40 (क)(i)क और धारा 40 (क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
	ख	अनुषंगी लाभ कर के रूप में संदत्त रकम	अख	
	ग	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम	अग	
	घ	धनकर के रूप में संदत्त रकम	अघ	
	ङ	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम	अङ	
	च	कोई अन्य अननुज्ञेय	अच	
	छ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अच का योग)	अच	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8अज
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें			
	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क	
	ख	धारा 40(3) के अधीन एकाउन्ट पेई चेक या एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफ्ट से भिन्न संदत्त रकम-100% अननुज्ञेय	9ख	
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध	9ग	
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि	9घ	
	ङ	कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ	
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम		9च
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग	
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	

	ड	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ड	
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च	
	छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)		10छ
11	पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेख में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग	
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	
	ड	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ड	
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च	
	छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11च का योग)		11छ
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम			
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क	
	ख	सेवा कर	12ख	
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग	
	घ	कोई अन्य कर	12घ	
	ड	अधिशेष कुल रकम (12क से 12घ का योग)		12ड
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें			
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम			
15	लाभ-हानि लेख में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम			

भाग क - मात्रात्मक ब्यौरे		मात्रात्मक ब्यौरे (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक जिसमें धारा 44कख के अधीन दायी नहीं है)			
मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	व्यवसायगत समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टाक		1	
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		2	
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		3	
	4	अंतिम स्टाक		4	
	5	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो		5	
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
	6	कच्चा माल			
		क	आरंभिक स्टाक	6 क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6 ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6 ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6 घ	
		ड	अंतिम स्टाक	6 ड	
		च	प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च	
		छ	प्राप्त का प्रतिशत	6 छ	
		ज	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	6 ज	
	7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद			
		क	आरंभिक स्टाक	7 क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7 ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7 घ		
	ड	अंतिम स्टाक	7 ड		
	च	कमी/आधिक्य यदि कोई हो	7 च		

भाग ख कुल आय

कुल आय की संगणना

1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 4ग) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	1	
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सट्टे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि		
	i सट्टे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची - बीपी का क33) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	2i	
	ii सट्टे का कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क37) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	2ii	
	iii कुल (2i+2ii)	2iii	
3	पूंजी अभिलाभ		
	क अल्पकालिक		
	i अल्पकालिक (111क के अधीन) (अनुसूची सीजी का ए7)	3 का	
	ii अल्पकालिक (अन्य) (अनुसूची सीजी का ए8)	3 काii	
	iii कुल अल्पकालिक (3क i+ 3काii) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	3 काiii	
	ख दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी का ख6) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	3 ख	
	ग कुल पूंजी अभिलाभ (3 काiii + 3 ख)	3 ग	
4	अन्य स्रोतों से आय		
	क घुड़दौड़ के स्वामित्व से भिन्न स्रोतों से (ओएस अनुसूची का 3) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	4 क	
	ख घुड़दौड़ के स्वामित्व से (ओएस अनुसूची का 4ग) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	4 ख	
	ग कुल (क+ ख)	4 ग	
5	कुल (1 + 2ग + 3ग + 4ग)	5	
6	5 के लिए मुजरे के चालू वर्ष की हानियां (सीवाईएलए अनुसूची का कुल 2वीआई,3वीआई तथा 4वीआई)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेष (5-6)	7	
8	7के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रनीत हानि लाए (बीएफएलए अनुसूची का कुल 2वीआई,3वीआई तथा 4वीआई)	8	
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए का 5 vii भी)	9	
10	अध्याय 6-क के अधीन कटौतियां (अनुसूची 6क का ट)	10	
11	कुल आय (9-10)	11	
12	शुद्ध कृषि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 4)	12	
13	“सकल आय” (11 + 12)	13	
14	चालू वर्ष की हानिया जो अग्रनीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xi) का योग	14	
15	धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 6)	15	

भाग ख - कुल आय पर कर

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	धारा 15 जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 7)	1	
2	भाग ख-ti की मद 11 कुल आय पर संदेय कर		
	क मामूली दरों पर कर	2 क	
	ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस आई का 11)	2 ख	
	ग भाग ख-टीआई (2क + ख)की मद 11 में कुल आय पर संदेय कर	2 ग	
3	सकल संदेय कर (2ग और 1 की उच्चतर प्रविष्ट करें)	3	
4	पूर्ववर्ष में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2ग 1 से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का साथ)	4	
5	धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर (3-4)	5	
6	5 पर अधिभार	6	
7	(5+6) पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर	7	
8	सकल कर दायित्व (5+6+7)	8	
9	कर अनुतोष		
	क धारा 90	9क	
	ख धारा 91	9ख	
	ग कुल (9क + 9ख)	9ग	

कर दायित्व की संगणना

	10	शुद्ध कर दायित्व (8 --9ग)		10
	11	संदेय ब्याज		
		क विवरणी देने में चूक के लिए (धारा 234क)	11क	
		ख अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए (धारा 234ख)	11ख	
		ग अग्रिम कर आस्थगन के लिए	11ग	
		घ कुल संदेय ब्याज (11 क+11 ख+11 ग)		11घ
	12	सकल दायित्व (10 + 11 घ)		12
देय कर	13	संदत्त कर		
		क अग्रिम कर (अनुसूची आईटी से)	13 क	
		ख टीडीएस (अनुसूची टीडीएस 2 का स्तंभ 8)	13 ख	
		ग टीसीएस (अनुसूची टीसीएस 2 का स्तंभ 8)	13 ग	
		घ स्वतः निर्धारण कर (अनुसूची आईटी से)	13 घ	
		ङ कुल संदत्त कर (13क+13ख+13ग + 13घ)		13ङ
	14	संदेय रकम (यदि 12 13ङ से अधिक है तो शून्य प्रविष्ट करे)		14
	15	प्रतिदाय (यदि 13ङ 12 से अधिक है) अनुसूची बीए बैंक लेखा ब्यौरे दें		15

सत्यापन

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा संख्या.....का धारक हूँ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय/अनुषंगी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2011-2012 से सुसंगत पूर्व वर्ष के कर के लिए प्रभार्य अनुषंगी फायदों के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं.....की हैसियत में विवरणी तैयार कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को तैयार करने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

स्थान.....

तारीख.....

यहां हस्ताक्षर करें

अनुसूची खक	कृपया बैंक खाते के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें									
1	बैंक खाता सं० प्रविष्ट करें (सभी मामलों में अनिवार्य है)									
2	क्या आप अपना प्रतिदाय <input type="checkbox"/> बैंक या <input type="checkbox"/> अपने बैंक खाते में सीधे जमा करके चाहते हैं ? (जैसा लागू हो सही निशान लगाएं <input checked="" type="checkbox"/>)									
3	अपने बैंक खाते के अतिरिक्त ब्यौरे दें									
	एमआईसीआर कोड								खाते का प्रकार (जैसा लागू हो सही निशान लगाएं <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> बचत <input type="checkbox"/>	
									चालू	

अनुसूची जत	गृह संपत्ति से आय का ब्योरा									
गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड					
		<input checked="" type="checkbox"/> निशान लगाएं, यदि किराए पर दिया गया है <input type="checkbox"/> किराएदार का नाम	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)						
		क	वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)	1 क						
		ख	किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती है	1 ख						
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1 ग						
		घ	कुल (1 ख + 1 ग)	1 घ						
		ङ	शेष (1 क - 1 घ)	1 ङ						
		च	1 ङ का 30%	1 च						
		छ	उधार ली गई संपत्ति पर सदेय ब्याज	1 छ						
		ज	कुल (1 च + 1 छ)	1 ज						
	झ	गृह संपत्ति से आय 1 (1 ङ - 1 ज)	1 झ							
	2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड					

<input checked="" type="checkbox"/> निशान लगाएं, यदि किराए पर दिया गया) <input type="checkbox"/>		किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)					
क	वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)		2 क					
ख	किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती	2 ख						
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2 ग						
घ	कुल (2 ख + 2 ग)	2 घ						
ङ	शेष (2 क - 2 घ)		2 ङ					
च	2 ङ का 30%	2 च						
छ	उधार ली गई पूंजी पर सदेय ब्याज	2 छ						
ज	कुल (2 च + 2 छ)		2 ज					
झ	गृह संपत्ति 2 से आय (2 ङ - 2 ज)		2 झ					
3	संपत्ति 3 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड				
<input checked="" type="checkbox"/> निशान लगाएं, यदि किराये पर दिया गया <input type="checkbox"/>		किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)					
क	वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)		3 क					
ख	किराए की रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती	3 ख						
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	3 ग						
घ	कुल (3 ख + 3 ग)	3 घ						
ङ	शेष (3 क - 3 घ)		3 ङ					
च	3 ङ का 30%	3 च						
छ	उधार ली गई पूंजी पर सदेय ब्याज	3 छ						
ज	कुल (3 च + 3 छ)		3 ज					
झ	गृह संपत्ति 3 से आय (3 ङ - 3 ज)		3 झ					
4	“ गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय							
क	धारा 25क / कक के अधीन वसूल किया गया किराया		4 क					
ख	30% कटौती के पश्चात् धारा 25क/कक के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया किराया		4 ख					
ग	कुल (4 क + 4ख + 1 झ + 2 झ + 3 झ)		4 ग					

अनुसूची - कारबार या वृत्ति		कारबार या वृत्ति से आय की संगणना					
कारबार या वृत्ति से आय	अ	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति					
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क - पी और एल की मद 43 या मद 52घ)		1			
	2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में वीजी चिह्न प्रविष्ट करें)	2क				
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में वीजी चिह्न प्रविष्ट करें)	2ख				
	3	आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में जमा आय/रशीदें	3				
	4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कङ/44कच/44खख/44खखक/44खखख/अध्याय 12छ/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है	4				
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है					
		क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क			
			एओपी/बीओए से आय के शेयर	5ख			
			कोई अन्य छूट प्राप्त आय	5ग			
			कुल आय पर छूट	5घ			
	6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3 - 4 - 5घ)		6			
	7	आय के अन्य शीर्षों के विचाराधीन	7				
8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है	8					
9	कुल (7 + 8)	9					
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)		10				
11	9 में सम्मिलित लाभ और हानि लेखा में विकलित अवज्ञयण		11				
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण						
	i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	12i				
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी	12ii				
	iii	कुल (12i + 12ii)		12iii			
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)						
				13			

14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 6त)	14	
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 7ज)	15	
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 8कछ)	16	
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 9ड)	17	
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं	18	
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 33कख/ 33कखक/ 33कखख/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21	
22	धारा 28 से 44घ के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	22	
23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिसमें कंपनी	23	
24	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22+23)	24	
25	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	25	
26	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची 4एसआर का मद Vii (4) यदि रकम लाभ और हानि लेखा की विकलित रकम से कम हैं तो यह मद 23 में जाएगी)	26	
27	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम	27	
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग णझ का 8ख)	28	
29	धारा 35 कग के अधीन कटौती	29	
	क लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	29 क	
	ख कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	29ख	
	ग लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय	29ग	
30	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम (धारा 35कघ के अधीन कटौती समेत)	30	
31	कुल (25 + 26+27+28+29ग + 30)	31	
32	आय (13+ 24 – 31)	32	
33	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ	33i	
	ii धारा 44कड	33ii	
	iii धारा 44कच	33iii	
	iv धारा 44ख	33iv	
	v धारा 44खख	33v	
	vi धारा 44खखक	33vi	
	vii धारा 44खखख	33vii	
	viii धारा 44घ	33viii	
	ix धारा 44घक	33ix	
	x अध्याय-XII-छ	33x	
	xi आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	33 xi	
	xii कुल(33i से 33xi)	33x	
34	धारा 10क/10कक/10ख/10खक के अधीन कटौती से पूर्व लाभ या हानि (32 + 33)	34	
35	निम्नलिखित के अधीन कटौतियां-		
	i 10क (अनुसूची 10क का 6)	35i	
	ii 10कक (अनुसूची 10कक का घ)	35ii	
	iii 10ख (अनुसूची 10ख का च)	35iii	
	iv 10खक (अनुसूची 10खक का च)	35iv	
	v योग (35i + 35ii+ 35iii+ 35iv)	35v	
36	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34– 35v)	36	
37	नियम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के पश्चात् कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (नियम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के पश्चात् विशेष कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 36 में है)	अ 37	

आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना	
	38 लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	38
	39 धारा 28 to 44घ के अनुसार परिवर्धन	39
	40 धारा 28 to 44घ के अनुसार कटौतियां	40
	41 सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38+39-40)	आ 41
इ	‘लाभ और हानि’ शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (अ 37 + आ 41)	
टिप्पण	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें	

अनुसूची डीपीएम		संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण						
1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी						
		15	30	40	50	60	80	100
2	दर (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन को लिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली							
6	वह रकम जिस पर पूर्ण दर पर अवक्षयण अनुज्ञात है (3+ 4+ 5) (शून्य प्रविष्ट करें यदि परिणाम नकारात्मक है)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिन से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिकल या अन्य सुव्यवस्थाकरण							
9	वह रकम जिस पर अवक्षयण आधे दर पर अनुज्ञात है (7--8) (शून्य प्रविष्ट करें यदि परिणाम नकारात्मक है)							
10	पूर्ण दर पर 6 का अवक्षयण							
11	आधी दर पर 9 का अवक्षयण							
12	अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो, 4 पर							
13	अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो, 7पर							
14	कुल अवक्षयण * (10 + 11 + 12 + 13)							
15	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय							
16	धारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5+ 8--3-4-7-15) (शून्य प्रविष्ट करें यदि ब्लाक नहीं रहता है)							
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अपलिखित मूल्य (6+ 9--14) (शून्य प्रविष्ट करें यदि परिणाम नकारात्मक है)							

अनुसूची-अन्य आस्तियों पर अवक्षयण		अन्य आस्तियों पर अवक्षयण					
1	आस्ति-समूह	भवन			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
		5	10	100	10	25	20
2	रेट (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन को अवलिखित मूल्य						
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
5	3या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
6	रकम जिस पर अवक्षयण पूर्ण दर पर अनुज्ञात है (3+4--5) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)						
7	पूर्व वर्ष में 180 दिन से अन्यून की अवधि के लिए परिवर्धन						
8	7 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						

9	रकम जिस पर अवक्षयण आधी दर पर अनुज्ञात है 7-8 (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)					
10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण					
11	9 पर आधी दर पर अवक्षयण					
12	4 पर अतिरक्त अवक्षयण, यदि कोई हो					
13	7 पर अतिरक्त अवक्षयण, यदि कोई हो					
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)					
15	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय					
16	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि* (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 15) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लाक नहीं रहता)					
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को अवलिखित मूल्य* (6+9-14) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)					

अनुसूची-डीईपी
आस्ति पर अवक्षयण सारांश

आस्ति पर अवक्षयण का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
	क	15 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14i)	1 क			
	ख	30 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14ii)	1 ख			
	ग	40 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14iii)	1 ग			
	घ	50 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14iv)	1 घ			
	ङ	60 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14v)	1 ङ			
	च	80 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14vi)	1 च			
	छ	100 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14vii)	1 छ			
	ज	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+ 1ख+ 1ग+ 1घ+ 1ङ+ 1च+ छ)	1 ज			
	2	भवन				
क	5 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए-14i)	2 क				
ख	10 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए-14ii)	2 ख				
ग	100 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए-14iii)	2 ग				
घ	भवन पर कुल अवक्षयण (2क + 2ख + 2ग)	2 घ				
3	फर्नीचर और फिटिंग्स (अनुसूची डीओए - 14iv)	3				
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए - 14v)	4				
5	पोत (अनुसूची डीओए - 14vi)	5				
6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)	6				

अनुसूची डीसीजी
अवक्षयणी आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

	1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16i)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16iii)	1ग		
	घ	50% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16iv)	1घ		

	ड	60% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16v)	1ड	
	च	80% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16vi)	1च	
	छ	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16vii)	1छ	
	ज	योग (1क+1ख+1ग+1घ+1ड+1च+1छ)		1ज
2	भवन			
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 16i)	2क	
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 16ii)	2ख	
	ग	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 16iii)	2ग	
	घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ
3	फर्नीचर और फिटिंग्स (अनुसूची डीओए - 16iv)			3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए - 16v)			4
5	पोत (अनुसूची डीओए - 16vi)			5
6	योग (1ज+2घ+3+4+5)			6

अनुसूची इएसआर

धारा 35 के अधीन कटौती

क्र. सं.	धारा (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iv)			
v	35(2अअ)			
vi	35(2अआ)			
vii	योग			

अनुसूची सीजी

पूंजी अभिलाभ

अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ			
पूंजी अभिलाभ	1	मंदा में विक्रय से		
		क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क	
		ख उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख	
		ग मंदा में विक्रय से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग	
		घ धारा 54ख / 54 घ के अधीन कटौतियां	1घ	
		ड मंदा में विक्रय से शुद्ध अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग-1घ)	1ड	
	2	ऐसे अनिवासी के मामले में आस्तियों से, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है		2
	3	अन्य आस्तियों से		
		क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क	
		ख धारा 48 के अधीन कटौतियां		
		i अर्जन की लागत	खi	
		ii सुधार की लागत	खii	
		iii अंतरण पर व्यय	खiii	
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	खiv	
		ग अतिशेष (3क-खiv)	3ग	
	घ धारा 94(7) या 94(8) के अधीन अनदेखी की जाने वाली हानि, यदि कोई (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	3घ		
	ड धारा 54ख/54घ/54छ/54छक के अधीन कटौती	3ड		
	च अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (3ग-3घ-3ड)		3च	
4	अवक्षयी आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ		4	
5	धारा 54ख/54घ/54छ/54छक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में मानी गई रकमे		5	
6	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ड+2+3ड+4+5)		6	
7	6 में सम्मिलित किया गया धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ		7	
8	धारा 111क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (6-7)		8	

आ दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ						
1	मंदा में विक्रय से					
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क				
	ख उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख				
	ग मंदा में विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग				
	घ धारा 54ख/54घ के अधीन छूट	1घ				
	ङ मंदा में विक्रय से शुद्ध दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग-1घ)	1ङ				
2	ऐसे अनिवासी के मामले में आस्तियां, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है	2				
3	ऐसी अन्य आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है					
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क				
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां					
	i सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खi				
	ii सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खii				
	iii अंतरण पर व्यय	खiii				
	iv योग (खi + खii + खiii)	खiv				
	ग अतिशेष (3क-खiv)	3ग				
	घ धारा 54ख/54घ/54ङग/54छ/54छक के अधीन कटौती	3घ				
	ङ शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)	3ङ				
4	ऐसी अन्य आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है					
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	4क				
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां					
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi				
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii				
	iii अंतरण पर व्यय	खiii				
	iv योग (खi + खii + खiii)	खiv				
	ग अतिशेष (4क-खiv)	4ग				
	घ धारा 54ख/54घ/ 54ङग/54छ/54छक के अधीन छूट	4घ				
	ङ शुद्ध अतिशेष	4ङ				
5	धारा 50ख/54घ/54ङग/54ङघ/54छ/54छक के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में मानी गई रकमे	5				
6	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +2+3ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +4ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +5)	आ6				
इ	“पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ6+आ6) (यदि हानि है तो आ6 कुछ नहीं के रूप में प्रविष्ट करें)	इ				
ई	पूंजी अभिलाभ के प्रोद्भवन/प्राप्ति के बारे में जानकारी					
	तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 तक (ii)	16/9 से 15/12 तक (iii)	16/12 से 15/3 तक (iii)	16/3 से 31/3 तक (iv)
1	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची में कोड 22 है, कर दर 10 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और वीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद वी4सी से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों					
2	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त नहीं होता है (सूचीकरण के साथ)- एसआई अनुसूची में कोड 21 है, कर दर 20 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और वीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद (बी6-बी4सी) से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों					
3	111क के अधीन अल्पकालिक- अनुसूची एसआई में कोड 1क है, कर दर 15 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और वीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद क7से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों					
4	अल्पकालिक अन्य- सामान्य दर पर कराधेय ; अनुसूची सीवाईएलए और वीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद क8से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों					

टिप्पण कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अन्य स्रोत	1	दौड़ के घोड़ों (घोड़ों) के स्वामित्व से होने वाली आय से भिन्न आय				
		क	लाभांश, सकल	1क		
		ख	ब्याज, सकल	1ख		
		ग	मशीनरी, संयंत्र, भवन के किराए से आय	1ग		
		घ	अन्य, सकल	1घ		
		ङ	योग (1क+1ख+1ग+1घ)		1ङ	
		च	धारा 57 के अधीन कटौतियां :-			
			i	व्यय/कटौतियां	चि	
			ii	अवक्षयण	चii	
			iii	योग	चiii	
	छ	अतिशेष (1ङ-चiii)		1 छ		
	2	लाटरी, वर्ग पहलेली, पहलेली दौड़ों आदि से जीत		2		
	3	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1छ + 2) (यदि हानि है तो 1छ के लिए शून्य लिखें)		3		
	4	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनको रखने से आय				
		क	प्राप्तियां	4 क		
		ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	4 ख		
		ग	अतिशेष (2 क - 2 ख)		4 ग	
	5	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (3 + 4 ग) (यदि हानि है तो 4ग को शून्य लिखें और 4ग की हानि के अंक को अनुसूची सीएफएल में लें)		5		

अनुसूची सीवाईएलए		चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे				
क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ या विनिर्दिष्ट कारबार से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष बची आय
			कुल हानि (अनुसूची एचपी का 4ग)	कुल हानि (अनुसूची बीपी का 31)	कुल हानि (अनुसूची ओएस का 3)	5=1-2-3-4
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
	समायोजित की जाने वाली हानि					
	i गृह संपत्ति					
	ii कारबार (जिसके अन्तर्गत सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से हुए लाभ भी हैं)					
	iii अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
	iv दीर्घकालिक अभिलाभ					
	v अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ सहित किंतु लाटरी से जीत को छोड़कर)					
	vi मुजरा की गई कुल हानि					
	vii मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

अनुसूची बीएफएलए		पूर्व वर्षों की अग्रनीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय का विवरण				
क्र. सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	चालू वर्ष की हानियों का यदि कोई हो, मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे (अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार)	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रनीत अवक्षयण का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3	4	5
	i गृह संपत्ति					

ii	कारबार (जिसके अन्तर्गत सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से हुए लाभ भी हैं)						
iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ						
iv	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ						
v	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ किंतु लाटरी से जीत को छोड़कर)						
vi	अग्रणीत हानियों के मुजरे का योग						
vii	योग का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (i5 + ii5 + iii5 + iv5+v5+vi5)						

अनुसूची सीएफएल

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (ता/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टेबाजी कारबार से हानि से भिन्न कारबार हानि	सट्टेबाजी कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	अन्य स्रोतों से हानि (घुड़दौड़ से भिन्न)
i	2003-04							
ii	2004-05							
iii	2005-06							
iv	2006-07							
v	2007-08							
vi	2008-09							
vii	2009-10							
viii	2010-11							
ix	पूर्व वर्षों की हानियों का योग							
x	अनुसूची बीएफएलए में पूर्वोक्त हानियों का समायोजन							
xi	2011-12 (चालू वर्ष की हानियां)							
xii	भावी वर्षों में अग्रणीत की गई कुल हानि							

अनुसूची 10 क

धारा 10 क के अधीन कटौती

क्र. सं.	विवरण	उपक्रम संख्या	कटौती
1	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती		
	क	उपक्रम संख्या 1	1क
	ख	उपक्रम संख्या.2	1ख
	ग	उपक्रम संख्या.3	1ग
	घ	उपक्रम संख्या.4	1घ
	ङ	उपक्रम संख्या .5	1ङ
	च	योग (1 क+ 1 ख+ 1 ग+ 1 घ + 1 ङ)	1
2	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती		
	क	उपक्रम संख्या 1	2क
	ख	उपक्रम संख्या.2	2ख
	ग	उपक्रम संख्या.3	2ग
	घ	योग (2 क + 2 ख+ 2 ग)	2 घ
3	मुक्त व्यापार जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती		
	क	उपक्रम संख्या 1	3क
	ख	उपक्रम संख्या.2	3ख
	ग	उपक्रम संख्या.3	3ग
	घ	योग (3 क + 3 ख+ 3 ग)	3घ
4	निर्यात प्रसंस्करण जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती		
	क	उपक्रम संख्या 1	4क
	ख	उपक्रम संख्या.2	4ख
	ग	उपक्रम संख्या.3	4ग
	घ	योग (4 क + 4 ख+ 4 ग)	4घ
5	विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती		

	क	उपक्रम संख्या 1	5क		
	ख	उपक्रम संख्या.2	5ख		
	ग	उपक्रम संख्या.3	5ग		
	घ	योग (5 क + 5ख+ 5 ग)		5घ	
6		(1क + 2 घ + 3घ + 4घ + 5घ) का योग			6

अनुसूची 10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती			
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	क		
	ख	उपक्रम संख्या.2	ख		
	ग	उपक्रम संख्या.3	ग		
	घ	योग (क + ख+ ग)		घ	

अनुसूची 10ख		धारा 10ख के अधीन कटौती			
धारा 10ख के अधीन कटौती	शतप्रतिशत निर्यातान्मुख इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	क		
	ख	उपक्रम संख्या.2	ख		
	ग	उपक्रम संख्या.3	ग		
	घ	उपक्रम संख्या.4	घ		
	ङ	उपक्रम संख्या.5	ङ		
च	योग (क + ख+ ग + घ + ङ)		च		

अनुसूची 80 छ		धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए पात्र संदानों के ब्यौरे				
संदानों के ब्यौरे	अ	शतप्रतिशत कटौती के लिए पात्र संदान				
		संदानकर्ता का नाम और पता			संदान की रकम	
		i			आi	
		ii			आii	
		iii			आiii	
		iv			आiv	
		v			आv	
		vi	योग		आvi	
		आ	जहां संदानकर्ता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है, 50% कटौती के लिए पात्र संदान			
			संदानकर्ता का नाम और पता			संदान की रकम
			i		आi	
			ii		आii	
			iii		आiii	
			iv		आiv	
			v		आv	
			vi	योग	आvi	
		इ	जहां संदानकर्ता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित है, 50% कटौती के लिए पात्र संदान			
			संदानकर्ता का नाम और पता		संदानकर्ता का स्थायी लेखा संख्या	संदान की रकम
			i			इi
			ii			इii
			iii			इiii
		iv			इiv	
		v			इv	
		vi	कुल		इvi	
२५		कुल संदान (आvi+ आvi+ इvi)			इ५	

अनुसूची 80झक		धारा 80झक के अधीन कटौतियां			
धारा 80झक के अधीन	क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क		
	ख	धारा 80झक (4) (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	ख		

ग	धारा 80इक (4) (iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोनों में)	ग	
घ	धारा 80इक (4) (iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत)	घ	
ङ	धारा 80इक (4) (v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत उत्पादन संयंत्र का पुनरुज्जीवन और धारा 80 इक (4) (vi) में निर्दिष्ट किसी उपकरण के लाभों के संबंध में कटौती [पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क])	ङ	
च	धारा 80इक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख + ग + घ)	च	

अनुसूची-80- इख		धारा 80इख के अधीन कटौतियां	
क	धारा 80इख (3) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (लघु उद्योग)	क	
ख	जम्मू-कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80इख (4))	ख	
ग	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80इख (4))	ग	
घ	औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80इख (5))	घ	
ङ	बहुविध थियटरों की बाबत कटौतियां (धारा 80इख (7 क))	ङ	
च	कन्वेंशन केन्द्रों की बाबत कटौतियां (धारा 80इख (7ख))	च	
छ	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौतियां (धारा 80इख (8 क))	छ	
ज	ऐसे उपक्रमों की दशा में, जो वाणिज्यिक उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ करता है की बाबत कटौतियां (धारा 80इख (9))	ज	
झ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो आवसीय परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं (धारा 80इख (10))	झ	
ञ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो प्रशीतन श्रृंखला सुविधाओं के प्रचालन में लगे हुए हैं (धारा 80इख (11))	ञ	
ट	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80इख (11))	ट	
ठ	खाद्यानों की उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की बाबत कटौती (धारा 80इख (11 क))	ठ	
ड	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80इख (11 ख))	ड	
ढ	धारा 80इख के अधीन कुल कटौतियां (क से ड का योग)	ढ	

अनुसूची-80- इग या 80इड.		धारा 80इग या 80इड. के अधीन कटौतियां	
1	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	1	
2	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	2	
3	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	3	
4	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां		
	क असम	4क	
	ख अरुणाचल प्रदेश	4ख	
	ग मणिपुर	4ग	
	घ मिजोरम	4घ	
	ङ मेघालय	4ङ	
	च नागालैंड	4च	
	छ त्रिपुरा	4छ	
	ज पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का कुल योग (4क से 4छ का योग)	4 ज	
5	धारा 80इग के अधीन कुल कटौतियां (1 + 2 + 3 + 4 ज)	5	

अनुसूची-VI- क अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां	क	80छ		छ	80झख (अनुसूची 80 झख का ढ)	
	ख	80छछक		ज	80 झग/झड. (अनुसूची 80 झग/80 झड. का 5)	
	ग	80छछख		झ	80 झघ/जजकक	
	घ	80छछग		ञ	80जजकक	
	ड	80झक(अनुसूची 80 झक का च)		ट	80 ढक	
	च	80 झकख				
	प	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (क से ट का कुल योग)				

अनुसूची एसआई विशेष दर पर आय आय-कर से झक (कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश सं. 9(iii) देखें)

विशेष दर	क्रम सं.	धारा कोड	☑	विशेष दर (%)	आय	उस पर कर ii	क्रम सं.	धारा कोड	☑	विशेष दर (%)	आय	उस पर कर ii
	1	1क	<input type="checkbox"/>	15			6		<input type="checkbox"/>			
	2	22	<input type="checkbox"/>	10			7		<input type="checkbox"/>			
	3	21	<input type="checkbox"/>	20			8		<input type="checkbox"/>			
	4	5खख	<input type="checkbox"/>	30			9		<input type="checkbox"/>			
	5		<input type="checkbox"/>				10		<input type="checkbox"/>			
	11	योग (1ii से 10 ii)										

अनुसूची : ईआई छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय)

छूट प्राप्त आय	1	व्याज से आय	1
	2	लाभांश से आय	2
	3	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया गया है	3
	4	शुद्ध कृषि आय (नियम 7, 7क, 7ख या 8 के अधीन अपवर्जित की जाने वाली आय से भिन्न)	4
	5	फर्म के लाभ में शेयर/एओपी इत्यादि	5
	6	अन्य	6
	7	योग (1+2+3+4+5+6)	7

अनुसूची एमएटी धारा 115जख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना

न्यूनतम बैकल्पिक दर	1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 और 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 1 लिखें, यदि नहीं तो 2 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	2	क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षय की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो 1 लिखें यदि नहीं तो 2 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	3	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पूर्व लाभ भाग क पी एंड एल की मद 42 प्रविष्ट करें)	3
	4	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)	
	क	संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफबीटी से भिन्न)	4क
	ख	आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	4ख
	ग	अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	4ग
	घ	समनुषंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	4घ
	ड	संदत्त या प्रस्तावित लाभांश	4ड
	च	धारा 10, 10कक, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	4च
छ	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण	4छ	
ज	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	4ज	
झ	कुल कटौतियां (4क+4ख+4ग+4घ+4ड+4च+4छ + 4ज)	4झ	
5	कटौतियां		

	क	आरक्षित से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	5क		
	ख	धारा 10, 10कक, 11 और 12 के अधीन आय धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5ख		
	ग	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आरक्षित के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक	5ग		
	घ	अग्रणीत की गई हानि या अवक्षयण जो भी कम हो	5घ		
	ङ	रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है।	5ङ		
	च	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों सहित)	5च		
	छ	कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च)			5छ
6		धारा 115अख के अधीन कुल लाभ (3+ 4i – 5छ)			6
7		धारा 115अख के अधीन संदेय कर [(6) का 10%]			7

अनुसूची एमएटीसी धारा 115अकक के अधीन जमा कर की संगणना

एमएटी प्रत्यय	1	निर्धारण वर्ष में 2010-11 में धारा 115अख के अधीन कर	1	
	2	निर्धारण वर्ष में 2010-11 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	2	
	3	पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्ष में जमा के लिए उपलब्ध निर्धारण वर्ष 2010-11 के बाबत एमएटी दायित्व की रकम [(1-2 लिखे यदि 2 से बढ़ा है अन्यथा शून्य लिखे)] निर्धारण वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए एमएटी प्रत्यय को अग्रेणित किया जाए	3	
	4	निर्धारण वर्ष में 2011-12 में धारा 115अख के अधीन कर	4	
	5	निर्धारण वर्ष में 2011-12 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	5	
	6	कर की रकम जिसके विरुद्ध में 3 की बाबत जमा रकम उपलब्ध है और (5-4) प्रविष्ट करें यदि 5 4 से अधिक है, अथवा शून्य प्रविष्ट करें)	6	
	7	धारा 115अकक के अधीन जमा कर की रकम [3 और 6 का निम्नतर प्रविष्ट करें]	7	
	8	निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 की बाबत अतिशेष एमएटी दायित्व जो पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के प्रत्यय के लिए उपलब्ध है (प्रविष्ट करें (3-7) यदि 3, 6 से अधिक अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)	8	
	9	निर्धारण वर्ष 2011-12 की बाबत एमएटी शेष जो पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के प्रत्यय के लिए उपलब्ध है (प्रविष्ट करें (3-7) यदि 4, 5 से अधिक अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)	9	

अनुसूची - डीडीटी देशी कंपनियों को वितरित लाभ पर कर और ब्याज की संगणना

लाभांश वितरण कर	1	देशी कंपनियों के किसी लाभांश लाभ के वितरण या संदाय की घोषणा की तारीख	1	
	2	पूर्व वर्ष के दौरान वितरित या संदत्त लाभांश की दर		
		क अंतरिम (दर %)	2क	
		ख अंतिम (दर %)	2ख	
	3	घोषित, वितरित या संदत्त लाभांश की रकम	3	
	4	घोषित लाभांश पर संदेय कर वितरित या संदत्त		
		क धारा 115थ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय कर	4क	
		ख 4क पर अधिभार	4ख	
		ग शिक्षा उपकर (4क + 4ख)	4ग	
		घ कुल संदेय कर (4क + 4ख + 4ग)	4घ	
5	धारा 115त के अधीन संदेय ब्याज	5		
6	अतिरिक्त आयकर + संदेय ब्याज (4घ+ 5)	6		
7	संदत्त कर और ब्याज (अनुसूची 5 डीडीटीपी का योग)	7		
8	शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (6-7)	8		

अनुसूची आईटी अग्रिम कर और आयकर के स्वतन्त्रनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

कर संदाय	क्र.सं	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चलान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
	i				
	ii				
	iii				

